न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 50/21 GCMS NO 2021/81

1. जुआन सिह पुत्र भगवती
2. भगवान सिह पुत्र भगवती
3. बहादुर पुत्र भगवती
4. विमला पत्नि बनीसिह
5. यादराम पुत्र बनीसिह
6. मीठया पुत्र बनीसिह
7. रेखसिह पुत्र बनीसिह
8. प्रेम सिह पुत्र बनी सिह
9. विनीता पुत्री बनी सिह
10. देवी सिह पुत्र राम सिह
11. रामधन पुत्र बण्डा सभी जातियान गुर्जर निवासीयान सौरया तहसील करौली जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. ठाकुर जी महाराज मनोहर जी, वाके ग्राम सौरया तहसील करौली जरिये पुजारी प्रबंधक नेक्सट फ्रैण्ड रमेशदास चेला तुलसीदास जाति ब्राहम्ण निवासी कमनपुर सौरया तहसील करौली जिला करौली हाल आबाद ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली
2. रामखिलाडी पुत्र रामहेत जाति कुम्हार निवासी कमनपुर (सौरया) तहसील करौली जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 58/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 1 श्री लियाकत अली

दिनांक 15.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा घोषणा खातेदारी एवं दखल व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी ठाकुरजी ग्राम सौरया तहसील करौली मे विराजमान है जो सदा नाबालिग है। उनकी सेवा पूजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जमीन जायदाद की व्यवस्था वादी द्वारा की जाती है। यह दावा ठाकुरजी से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। आराजी खसरा न0 202,203,204 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा ग्राम सौरया पटवार हल्का रेखबनगर मे वादी के खातेदारी व कब्जे की स्थित है। काश्तकारी अधिनियम कॉलम होने के दिन सम्वत 2012 मे विवादित आराजी वादी ठाकुरजी के कब्जे काश्त की भी सेटलमेंट विभाग ने गलत तरीके से सम्वत 2015 मे वादी के नाम का इन्द्राज खातेदारी के कॉलम मे से हटा दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नही है मात्र वारिसी इन्द्राज ही बदल सकता है। अन्य इन्द्राज अदालत के आदेश के बिना बदलने का कोई अधिकार क्षैत्र हासिल नही है फिर भी गलत तरीके से प्रतिवादी न0 1 ता 8 के बुजुर्गो से मिल कर ठाकुर जी का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम इन्द्राज कर दिया । रामहेत व बण्डा का नाम दर्ज कर दिया इस इन्द्राज से वादी के हक हकूको पर असर नही पडता है इन इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी न0 1 ता 8 वादग्रस्त आराजीयात पर अवैध रूप से बतौर ट्रेस पासर काबिज है। दिनांक 27.4.06 को वादी की ओर से वादी रमेशदास द्वारा प्रतिवादीगण से जमीन खाली कर कब्जा वादी को देने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण हक हकूक खातेदारी वादी से व जमीन पर कब्जा देने से इंकार कर दिया और कहा कि खाता हमारे नाम है तब रेवेन्यू रिकार्ड की नकल लेने पर फर्जकारी का पता चला। प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि इस जमीन को खुर्द बुर्द करेगे और निर्माण करेगे। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात मे बने कुओ को नष्ट कर दिया है तथा बबूल के पेडो को काट दिया है। इसलिए वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जमीन को खुर्द बुर्द नही करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण 2 ता 14 के वारिसान की और से यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी कतई आर्वीट्रेटरी कपियसली विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी साक्ष्य पीडब्लू 1 रमेशदास के बयान पर भरोसा कर गंभीर त्रुटि की है निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि गवाह पीडब्लू 1 के मुख्य बयान शपथ पत्र मे लिखा गया है कि किसी तथ्य के बारे मे जानकारी नही है। साक्ष्य ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपने अभिवचनो का भी सर्मथन किया है। बल्कि पेशकर्ता दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2012, प्रदर्श 2 मिलान क्षैत्रफल,प्रदर्श 3 जमाबंदी सेटलमेंट व प्रदर्श 4 जमाबंदी सवंत 2061 से 64 के बारे मे भी कोई जानकारी नही होना जाहिर किया है। विधि सलाहकार द्वारा शपथ पत्र तैयार करना बताया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वहक रेस्पो0 न0 1 निर्णय करने मे विधि की गंभीर भूल की है। निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र मे दिये गये अभिवचनो का सर्मथन अपनी साक्ष्य मे नही किया वह अपनी साक्ष्य मे विवादित भूमि व अन्य भूमियो को मंदिर की जागीर की भूमि बताता है जिसमे से कुछ जमीन को मंदिर की खुदकाश्त बताता है शेष जमीनो को कौन कौन काश्त करता है पता नही है। सवंत 2012 मे विवादित जमीन पर अपीलांट के काबिज होने का तथ्य स्वीकार करता है ऐसी अवस्था मे रेस्पो0 न0 1 को खुदकाश्त भूमि न होने से टीनेन्ट को हेरिटेबल खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेगे और वह भूमि टीनेन्ट के खातेदारी समझी जावेगी। इस बाबत माननीय राजस्व मंडल द्वारा स्पष्ट सर्कुलर जारी भी किया गया है और सभी अधिनस्थ न्यायालय एवं राजस्व अधिकारियो को उक्त सर्कुलर की पालना के निर्देश दिये है। इस प्रकरण मे जागीर ऑफ रिज्म्पशन एक्ट के प्रभाव मे आने के दिवस अपीलांट के पूर्वज कृषक की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे थे और मंदिर की खुदकाश्त ना होने के सबब अपीलांट कानूनन खातेदार होते हुए विधि के सुव्यवस्थित सिद्वान्त को नजर अंदाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने कतई मनमाने तरीके से तनकी संख्या 1 ता 3 को वादी/रेस्पो0 मंदिर के पक्ष मे निर्णित कर विधि विरूद्व डिक्री पारित करके विधि की गंभीर त्रुटि की है। इसलिए डिक्री व निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 की पूर्ण रूप से विवेचना नही की ना ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गौर किया गया। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था जिसे वादी अपनी साक्ष्य से साबित करने मे पूर्ण रूप से असफल रहा है व तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार अपीलांटगण पर था। जिसे अपीलांटगण द्वारा पूर्ण रूप से साबित किया है। रेस्पो0 न0 1 ने अपनी साक्ष्य जिरह मे संवत 2012 मे अपीलांटगण का बतौर कृषक काश्त करना व रेस्पो0 संख्या 2 से 20 वर्ष पूर्व जमीन को छीन लेने का कथन स्वीकार किया है। रेस्पो0 न0 1 द्वारा विवादित आराजी को अपने वाद पत्र मे रेस्पो0 संख्या 1 की खुदकाश्त की होना अभिवचन करते हुए समस्त अनुतोष चाहे है और अपीलांट द्वारा अपने जबाब दावे मे इस तथ्य को इंकार किया गया है कि विवादित आराजी सेटलमेंट के वक्त रेस्पो0 की खुदकाश्त की रही थी इस प्रकार रेस्पो0 न0 1 को यह सिद्व करना कि विवादित आराजी रेस्पो0 न0 1 की खुदकाश्त की रही है और उक्त तथ्य को रेस्पो0 न0 1 द्वारा सिद्व नही करने पर वादी का कोई केस नही रह जाता है। रेस्पो0 न0 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजो को अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित करने से व अपनी मौखिक साक्ष्य मे अपीलांटगण का संवंत 2012 से पूर्व से कब्जा स्वीकृत करने रेस्पो0 न0 1 द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी अपीलांटगण की खातेदारी मे दर्ज होना सिद्व है। सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी तथ्य की स्वीकारोक्ति से अच्छी कोई साक्ष्य नही होती फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का विनिश्चय पूर्णतः विधि विरूद्व है तनकी संख्या 2 रेस्पो0 न0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:17:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

साक्ष्य से ही अपीलांटगण के पक्ष मे साबित है इस कारण निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व है और अपास्त किये जाने योग्य है। स्थाई निषेधाज्ञा व दखल बाबत कोई तनकी न्यायालय द्वारा विचरीत नही की है। रेस्पो0 न0 1 द्वारा अपनी साक्ष्य मे प्रतिवादी न0 1 रामखिलाडी रेस्पो0 न0 2 से 20 वर्ष पूर्व कब्जा छीनने का कथन अपनी जिरह मे किया है यानि रेस्पो0 न0 1 को अपीलांटगण की साधिकार खातेदारी काश्तकारी का ज्ञान दायरी दावा से बीसियो वर्ष पूर्व से रहा है यानि रेस्पो0 न0 1 की कब्जा वापसी की भी मियाद निकल चुकी है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वगैर दखल व स्थाई निषेधाज्ञा की तनकी कायम किये दखल व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष रेस्पो0 संख्या 1 को प्रदान करते हुए निर्णय व डिक्री पारित करने मे विधि की भारी त्रुटि की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। रमेशदास द्वारा अपने आपको बाबा तुलसीदास का चेला होना व बचपन मे गोद लेने का कथन किया है व अपने आपको मंदिर का पुजारी होना बताया है व विवादित भूमि का मंदिर के स्थान पर अपीलांटगण के नाम होने की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाना बताया है। रेस्पो0 न0 1 के वाद पत्र के अभिवचन व साक्ष्य विरोधाभासी है। अपीलांटगण साक्ष्य डी डब्लू 1 से रमेशदास का मंदिर की सेवा पुजा करना उसका चैनपुर मे रिहायश करना व रमेशदास को दावा करने का अधिकार नही होना पूर्ण रूप से साबित होने पर रेस्पो0 न0 1 द्वारा उक्त साक्ष्य का खण्डन नही करने पर एवं रेस्पो0 न0 1 की जानकारी मे अपीलांटगण का साधिकार कब्जा काश्त खातेदारी बीसियो वर्ष पूर्व स्वीकृत करने पर वाद कारण दिनांक 27.4.06 का बनावटी होने पर भी वाद पत्र मे आई साक्ष्य का सही विवेचन ना कर वाद पत्र रेस्पो0 न0 1 बहस रेस्पो0 न0 1 निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी वकील द्वारा अपीलांटगण को समय पर नही दी गई उसके द्वारा प्रत्येक पेशी पर आने के लिए मनाही कर दिया गया था उसके पश्चात कोविड 19 के कारण सभी अदालतो मे कार्य बंद होने एवं लॉकडाउन होने के कारण निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नही हो सकी। दिनांक 30.7.21 को न्यायालय मे आने पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होने पर नकल निर्णय व डिक्री की प्राप्त की जाकर अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश की गई है। इसलिए अपील पेश करने मे हुए डिले को कण्डौन किया जावे। रेस्पो0 न0 2 का विवादित जमीन से किसी प्रकार का कोई हक व कब्जा नही है ना ही रेस्पो0 न0 2 द्वारा कभी काश्त किया है संपूर्ण भूमि हम अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी मे है और सारे हक हकूक विवादित जमीन बाबत अपीलांटगण मे निहित हो चुके है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे रेस्पो0 न0 2 के नाम पेपर एन्ट्री के आधार पर वादी रेस्पो0न0 1 द्वारा रेस्पो0 न0 2 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो बावजूद तामिल उपस्थित नही हुआ है। रेस्पो0 न0 2 के सारे हक हकूक अपीलाटगण मे निहित होने से रेस्पो0 न0 2 [illegible] उसको रेस्पो0 बनाया गया है। विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबे की अपीलांट द्वारा प्रस्तुत [illegible]। विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबे को अपीलांटगण के रकबे मे शुमार किया जाता [illegible] अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:47:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो० के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनरथ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से तनकी संख्या 1 व 2 को वादी/रेस्पो० के हक मे निर्णित किया गया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से दावा एवं जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी/रेस्पो० को दिया गया था जिसे वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो के माध्यम से साबित किया है इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार अपीलांट/प्रतिवादीगण पर था जिसे अपीलांट/प्रतिवादीगण साबित करने मे असफल रहे है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात का निर्णय विधिवत रूप से वादी/रेस्पो० के पक्ष मे किया गया है। वादी मंदिर नाबालिग है। जिसकी भूमि पर प्रतिवादी/अपीलांट का कब्जा बतौर ट्रेस पासर अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम हुए गलत इन्द्राज को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। सम्वत 2012 मे वादग्रस्त आराजी वादी ठाकुरजी की खातेदारी मे रही है जो प्रदर्श 1 से साबित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से सम्वत 2015 मे वादी के नाम के खातेदारी के कॉलम से खातेदारी इन्द्राज हटा दिये गये। जिसका सेटलमेट को कोई अधिकार हासिल नही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से विधिक अवलोकन कर एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 202,203,204कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा ग्राम सौरया पटवार हल्का खूबनगर की खातेदारी सम्वत 2012 मे वादी मंदिर के नाम रही है जो प्रदर्श 1 से स्पष्ट साबित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजीयात की खातेदारी के कॉलम मे से हटा जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांटगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज किया गया है। जिसका सेटलमेंट को कोई अधिकार हासिल नही है। जहॉ तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है तो प्रतिवादीगण/अपीलांट बतौर ट्रेस पासर ही काबिज है। अपीलांटगण/प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी खातेदारी होने के तथ्य को स्पष्ट कर सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को दिया गया था जिसे प्रतिवादीगण/अपीलांटगण साबित करने मे असफल रहे है जबकि वादीगण/रेस्पो० द्वारा अपने आप को पुजारी होना अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दखल व स्थाई [illegible] के सबंध मे कोई तनकीयात कायम नही की है, इस सबंध मे स्पष्ट है कि जब [illegible] तनकीयात से पूर्णतया साबित होता है तो विधि के सिद्वान्तो अनुसार प्रतिवादीगण को [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। वादी मंदिर शास्वत नाबालिग है जिसकी भूमि को किसी को भी खुर्द बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2026.04.16 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करने का अधिकार प्राप्त नही है। वादी को बतौर पुजारी होने से दावा दायर करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीवार विवेचन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य का विवेचन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 58/2006 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner